

पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

CIN:- U40101UR2004SGC028675

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून-248002

E-mail:- hr@ptcul.org

दूरभाष नं० 0135-2645249 फैक्स नं० 0135-2645249 वेबसाईट www.ptcul.org

पत्रांक: 1317 / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / आई०आर-2

दिनांक: 27 / 08 / 2025

परिपत्र

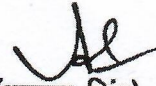
समस्त मुख्य अभियन्ता / महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता एवं समकक्ष, पिटकुल,

..... ।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-537 / 1(2) / 2025 -05-107 / 2003 दिनांक 26.08.2025 के द्वारा पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड में "अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966" एस्मा (ESMA) तत्कालिक प्रभाव से छः मास की अवधि के लिए लागू किया गया है तथा अधिसूचना के जारी होने की तिथि से पिटकुल में समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध कर दी गयी है।

उपरोक्त अधिसूचना की छायाप्रति आपको इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया अधिसूचना को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करते हुए अपने अधीनस्थ सभी कार्मिकों को उक्त अधिसूचना के सम्बन्ध में अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथापरोक्त।

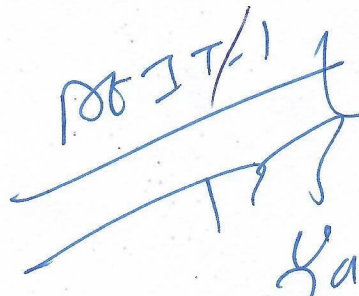

(अनुपम सिंह)

उपमहाप्रबन्धक (अधि०)

पत्रांक: / मा०सं०एवंप्र०वि० / पिटकुल / आई०आर-2 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव / डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, निदेशक (मा०सं०) / (परिचालन) / (परियोजना) / (वित्त), पिटकुल, देहरादून को निदेशकगणों के संज्ञानार्थ।
3. अधिशासी अभियन्ता (सू०एवंप्र०-1), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वह इस परिपत्र को संलग्नक सहित पिटकुल की वेबसाईड पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करे।
4. कार्यालय ज्ञाप पंजिका / सूचना पट।





(अनुपम सिंह)
उपमहाप्रबन्धक (अधि०)

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा अनुभाग-2
संख्या:- 537/1(2)/2025-05-107/2003
देहरादून, दिनांक 26 अगस्त, 2025

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है,

अतएव, अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1966) की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल महोदय इस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से छः मास की अवधि के लिए यूजेवीएन लिमिटेड, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ़ उत्तराखण्ड लिमिटेड में समस्त श्रेणी की सेवाओं में तत्कालिक प्रभाव से हड़ताल निषिद्ध करते हैं।

उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (2) के अधीन यह भी आदेश भी देते हैं कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जायेगा।

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम)

प्रमुख सचिव।

संख्या:- 537 / 1(2)/2025-05-107/2003 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, गृह उत्तराखण्ड शासन।
- 2 - पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
- 3 - आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
- 6- संयुक्त निदेशक, प्रभारी मुद्रण एवं लेख सामाग्री, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को एक अंग्रेजी प्रति के साथ उत्तराखण्ड के असाधारण गजट के आगामी अंक में विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड-ख में प्रकाशनार्थ प्रेषित। असाधारण गजट की 100 प्रतियां शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 7- अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून।
- 8- प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 एवं उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम लि0, देहरादून को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को समस्त कार्यालयों के नोटिस बोर्ड में चरपा करने का कष्ट करें।
- 9- प्रभारी, एन0आई0सी, सचिवालय परिसर।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से


(गीता शर्मा)
अनु सचिव।